एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2359/2006
फिरोजी व अन्य बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यु व अन्य

2.5.2007

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक</u>

श्री एच.पी.सिंह, अधिवक्ता याचीगण की ओर से।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

याचिकाकर्तागण ने इस रिट याचिका में राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 की वैधानिकता को चुनौती दी है। राजस्व मण्डल के समक्ष राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 23.5.2002 को चुनौती दी गयी थी। राजस्व अपील अधिकारी ने अपने उक्त निर्णय के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर, कठूमर के निर्णय दिनांक 13.4.2000 को निरस्त करते हुए प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि अधीनस्थ न्यायालय दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौके की पैमाईश करवाकर पुन: विधिवत निर्णय पारित करे। राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय के अन्तर्गत उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने से इस आधार पर इन्कार कर दिया कि यदि पुन: दोनों पक्षों की मौजूदगी में पैमाईश होती है तो इससे किसी पक्षकार को कोई हानि नहीं होगी। प्रकरण की वास्तविक एवं विधि अनुरुप पैमाईश की कार्यवाही पर विशेष रुप से ध्यान देते हुए प्रकरण का पुन: निर्णय अपेक्षित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो शंकाऐं व्यक्त की गयी है उन पर समुचित रुप से परीक्षण न्यायालय स्तर पर साक्ष्यों के संदर्भ में विचार हो सकता है और विधिसम्मत आदेश पारित होने की स्थिति बनती है। राजस्व मण्डल के आक्षेपित निर्णय में दिये गये कारणों तथा राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय की प्रकृति को देखते हुए मैं इस रिट याचिका में अब जबकि उक्त निर्णय के पश्चात लगभग ढाई वर्ष एवं राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के पश्चात पांच वर्ष का समय व्यतीत

हो चुका है, हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता हूं।

अत: यह रिट याचिका इसी प्रकार निरस्त की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति